Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में सरस डेयरी, चैयरमेन, उसके दलाल के साथ 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर इकाई द्वारा आज मंगलवार को टोंक में कार्यवाही करते हुये दुर्गालाल जाट चैयरमैन, सरस डेयरी, जिला टोंक को उसके दलाल रामदयाल जाट (प्राइवेट व्यक्ति) के मार्फत परिवादी से 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि दूध सप्लाई का टेण्डर एक साल बढ़ाने की एवज में दुर्गालाल जाट चैयरमैन, सरस डेयरी, जिला टोंक द्वारा उसके दलाल रामदयाल जाट (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा टोंक में ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल रामसहाय जाट पुत्र श्री रामनारायण जाट निवासी निवासी ग्राम बिसालू, थाना फागी, जिला जयपुर (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 2 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रकरण में दुर्गालाल जाट पुत्र श्री गोपीलाल जाट निवासी ग्राम आकोड़िया, पुलिस थाना दूनी, जिला टोंक हाल चैयरमेन, सरस डेयरी, जिला टोंक को भी गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपियों ने परिवादी से 1 लाख रुपये रिश्वत के प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।